प्रेस नोट

थाना उल्दन, जनपद झाँसी

दिनाँक 09.01.2025

20-20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्ता गिरफ्तार-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभारी कार्यवाही के क्रम में उल्दन पुलिस द्वारा 1. श्रीमती राजकुमारी पत्नी सूरज कबूतरा नि0 ग्राम कबूतरा डेरा शिमलापुर स्यावरी, थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी उम्र करीब 26 वर्ष 2. श्रीमती सपना पत्नी रिक्कू निवासी म0नं0 281, ग्राम पृथ्वीपुर सिमलापुर स्यावरी थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी उम्र 32 वर्ष को 20 -20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:

आज दिनाँक 09.01.2025 को उ0नि0 श्री रमाशंकर तिवारी मय हमराह म0का0 1938 कविता चौधरी के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, पेण्डिंग अहकामात, विवेचना मर्जुआत व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन में मामूर थे। तभी मुखबिर खास ने उ0नि0 श्री रमाशंकर तिवारी को सूचना दी कि अमनपुरा बस स्टैण्ड से करीब 400 मीटर आगे अमनपुरा रोड पर सरजू के खेत मे एक महिला पिपिया मे अवैध कच्ची शराब लिये बैठी है और बेच रही है अगर जल्दी की जाये तो पकड़ी जा सकती है मुखबिर की बात पर भरोसा करके उ0नि0 श्री रमाशंकर तिवारी मय हमराही के अमनपुरा बस स्टैण्ड से करीब 400 मीटर आगे अमनपुरा रोड पर सरजू के खेत पर थाना उल्दन जनपद झांसी से अभियुक्ता श्रीमती राजकुमारी पत्नी सूरज कबूतरा नि0 ग्राम कबूतरा डेरा शिमलापुर स्यावरी थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी उम्र करीब 26 वर्ष को एक प्लास्टिक की पिपिया में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये महिला आरक्षी की मदद से गिरफ्तार कर थाना उल्दन में मु0अ0सं0 07/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

इसी क्रम में आज दिनाँक 09.01.2025 को उ0नि0 श्री अंकित धामा मय हमराह म0का0 1754 रेखा मौर्य के देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम शान्ति व्यवस्था चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन मे क्षेत्र मे मामूर थे और गस्त करते हुए जैसे ही खजराहा घांघरी मोड पहुंचे तो मुखबिर खास ने आकर बताया कि एक महिला बिजना कबूतरा डेरा तिराहा पर एक प्लास्टिक की पिपिया लिये बैठी है जिसमे कच्ची शराब है अगर जल्दी की जाए तो पकडी जा सकती है मुखबिर की बात पर भरोसा करके उ0नि0 श्री अंकित धामा मय हमराही के बिजना कबूतरा डेरा तिराहा पर थाना उल्दन जनपद झांसी से अभियुक्ता श्रीमती सपना पत्नी रिक्कू निवासी ग्राम पृथ्वीपुर सिमलापुर स्यावरी थाना मऊरानीपुर

जनपद झांसी उम्र 32 वर्ष को एक प्लास्टिक की पिपिया में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये महिला आरक्षी की मदद से गिरफ्तार कर थाना उल्दन में मु0अ0सं0 08/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1.उ0नि0 श्री रमाशंकर तिवारी थाना उल्दन जनपद झाँसी
2. उ0नि0 श्री अंकित धामा थाना उल्दन जनपद झांसी
3. म0का0 1938 कविता चौधरी थाना उल्दन जनपद झांसी
4.म0का0 1754 रेखा मौर्य थाना उल्दन जनपद झाँसी